

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1375 / 2016 / हनुमानगढ़.

मैसर्स अमर ट्रेडिंग कम्पनी, संगरिया.

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–‘बी’, हनुमानगढ़.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित :

श्री वी. के. गर्ग, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,

उप–राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 05 / 03 / 2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे ‘अपीलीय अधिकारी’ कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 372/आरवैट/हनुमानगढ़/15–16 में पारित किये गये आदेश दिनांक 30.3.2016 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ‘वेट अधिनियम’ कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है जिसमें सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत–बी, हनुमानगढ़ (जिसे आगे ‘कर निर्धारण अधिकारी’ कहा जायेगा) द्वारा निर्धारण वर्ष 2012–13 के आदेश दिनांक 23.6.2015 से आरोपित कर व ब्याज के आरोपण को यथावत रखा गया है, जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया अपीलार्थी फर्म द्वारा Cotton oil को Manufacturing की जाती है जिसके लिए कच्चा माल के रूप में Cotton क्रय की जाती है। उन्होंने कथन किया कि Cotton oil के निर्माण के दौरान Oil cake एक bye product के रूप में उत्पादित होता है जो कर मुक्त है, परन्तु मूल रूप से उनके द्वारा कर योग्य माल Cotton oil का ही निर्माण किया जाता है न कि खल का। अतः अधिनियम की धारा 18(1)(e) के तहत कच्चे माल को कर योग्य माल के निर्माण में प्रयुक्त होने से पूरी आई.टी.सी. लेने की पात्रता है।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड इण्डस्ट्रीज, श्रीगंगानगर (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 के प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में, कर मुक्त खल के अनुपात में कच्चे माल पर ली गई आई.टी.सी. को रिवर्स किया है, परन्तु इसी तरह के समान विधिक बिन्दु पर माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय

लगातार.....2

द्वारा रुचि सोया इन्डस्ट्रीज बनाम मध्य प्रदेश राज्य में (2014)70VST 40 (MP) में यह निर्णय दिया गया है कि by product के कर मुक्त होने पर Proportionate ITC कम नहीं की जा सकती, एवं इस निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत SLP माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज कर निर्णय की पुष्टि कर दी है अतः दुर्गेश्वरी फूड के निर्णय का प्रभाव देना विधिसम्मत नहीं है।

5. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण आदेश में अपंजीकृत व्यवसाईयों से क्रय किये गये कच्चे माल पर क्रय कर का आरोपण धारा 4(2) के तहत किया गया है जबकि धारा 4(2) में क्रय कर को आरोपण कच्चे माल के धारा 18 में प्रयुक्त नहीं होने पर ही कर लगाने के प्रावधान हैं जबकि उनके द्वारा कच्चे माल का उपयोग विनिर्माण में किया जा चुका है एवं इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कोई विचार किये बिना अपील खारिज की है जिसे अपास्त करने का अनुरोध किया।

6. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मान अध्ययन किया गया।

8. उक्त प्रकरण में अपंजीकृत व्यवसायियों से क्रय किये गये माल का उपयोग धारा 18(1) के प्रयोजन हेतु प्रयुक्त होने के उपरान्त भी क्रय कर का आरोपण करने को विवादित किया गया है एवं क्लेम की गई आईटीसी. को इस आधार पर आनुपातिक रूप से कम किया गया है कि निर्माण के दौरान उत्पादित bye product करमुक्त था। उक्त दोनों विधिक बिन्दुओं पर निर्णय निम्न अनुसार किया जाता है।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण आदेश में अपंजीकृत व्यवसाईयों से क्रय किये गये माल रूपये 1,11,75,178/- पर अधिनियम की धारा 4(2) के तहत क्रय कर रूपये 5,58,758/- आरोपित किया है वह अविधिक होने से अपास्त किया जाता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वयं ने यह विवेचन किया है कि अपंजीकृत व्यवसाईयों से खरीद किये गये माल से तेल का निर्माण किया गया है एवं साथ खल का उत्पादन होने से क्रय कर आरोपणीय है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा क्रय कर का आरोपण धारा 4(2) के प्रावधान के तहत किया जाना उल्लेखित किया गया है। अधिनियम की धारा 4(2) निम्न है :–

लगातार.....3

4. Levy of tax and its rate. –

(2) Every dealer who in the course of his business purchases any good other than exempted goods in the circumstances in which no tax under sub-section (1) is payable on the sale price of such goods and the goods are disposed off for the purpose other than those specified in clause (a) to (g) of sub-section (1) of section 18, shall be liable to pay tax on the purchase price of such goods at the rate mentioned against each of such goods in Schedule-III to Schedule VI of the Act.

9. वेट अधिनियम की उक्त धारा 4(2) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि किसी माल पर धारा 4(1) में कर देय नहीं होने पर, तथा उस माल का उपयोग धारा 18(1) (a) to (g) के प्रयोजन के अलावा प्रयुक्त होने पर उस माल की क्रय राशि, पर कर चुकाने का दायित्व होगा। इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि अपंजीकृत व्यवसाई से खरीद किया गया माल चूंकि अधिनियम की धारा 18 (1) (e) में दिये गये प्रयोजन में प्रयुक्त हो गया है ऐसी स्थिति में उसके क्रय मूल्य पर कर आरोपित नहीं किया जा सकता। अधिनियम की धारा 4(2) में केवल उस माल के क्रय मूल्य पर कर लगाया जा सकता है जिस माल का उपयोग धारा 18(1) (a) to (g) के लिए नहीं किया गया है, अथवा उस माल पर किसी भी तरह कर उद्ग्रहणीय नहीं हो सकता, उदाहरणार्थ अपंजीकृत व्यवसाई से क्रय किया गया माल धारा 18(1) (a) to (g) में प्रयुक्त न होकर उस माल का ब्रांच ट्रांसफर कर दिया जावे तब धारा 4(1) में कर प्राप्त नहीं होने से एवं धारा 18(1)(a) to (g) के प्रयोजन में उपयोग न होने से उसके क्रय मूल्य पर कर वसूल किया जा सकता है जबकि इस प्रकरण में माल का उपयोग धारा 18(1)(ई) के प्रयोजन में ही प्रयुक्त हुआ है। अतः इस बिन्दु पर अपील स्वीकार कर कर निर्धारण आदेश में आरोपित क्रय कर अपास्त किया जाता है एवं इस बिन्दु पर अपीलीय आदेश भी अपास्त किया जाता है।

प्रकरण में विवाद का दूसरा बिन्दु पंजीकृत व्यवसायियों से खरीदे गये कच्चे माल का उपयोग तेल के निर्माण में होने पर कर योग्य तेल के साथ कर मुक्त खल भी उत्पादित होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी द्वारा क्लेम की गई आई.टी.सी. में से उतनी राशि की आई.टी.सी. को रिवर्स कर दिया गया है जो उनके अनुसार कर मुक्त माल खल के उत्पादन में अनुपातिक रूप से उपयोग में आई है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 18(1)(e) एवं अन्त में दिये गये प्रोविंजन के आधार पर यह निर्णय किया गया है कि कर मुक्त माल के उत्पादन पर, चूंकि आई.टी.सी. की पात्रता नहीं होती है अतः उसे अनुपातिक रूप से रिवर्स कर दिया गया है।

लगातार.....4

10. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा "Proportionate" ITC कम करने का आधार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड में दिया गया निर्णय बताया गया है। अपीलार्थी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के "दुर्गेश्वरी फूड" के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका स्वीकार होकर लम्बित होने से उक्त निर्णय का प्रभाव देना उचित नहीं है। इसके अलावा यह कथन भी किया है कि मध्य प्रदेश वैट एकट में भी आई.टी.सी. संबंधी समान तरह के प्रावधान पर आई.टी.सी. रिवर्स की जाने पर मैसर्स रूचि सोया इन्डस्ट्रीज के प्रकरण में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि खल के निर्माण पर Proportionat आई.टी.सी. कम नहीं की जा सकती एवं उक्त निर्णय की पुष्टि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SLP खारिज करने से हो गई है। अतः उस निर्णय के आलोक में "दुर्गेश्वरी फूड" के निर्णय का अनुकरण नहीं किया जा सकता।

11. विद्वान अभिभाषक का दिया गया तर्क स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से यही अवधारणा प्रतिपादित की गई है कि निर्माण के दौरान प्राप्त अन्य कर मुक्त माल के अनुपात में धारा 18(1) के प्रोविजो के अनुसार आई.टी.सी. रिवर्स की जावेगी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय का सुसंगत भाग निम्न प्रकार है :—

"20. In the considered opinion of this Court, therefore, in view of specific provisions contained in Section 18 of the VAT Act of 2003, the ratio of the judgments relied upon by the learned counsel for the respondent-assessee would in fact support the case of the Revenue, and as a necessary corollary, it deserves to be held following these aforesaid judgments, that input tax credit in the present case, was rightly reduced and was allowed only proportionately to the extent of manufacturing and sale of taxable goods by the assessee in the present case, namely, "Aata", "Maida" and "Suji", manufactured out of raw material (wheat) and such input tax credit could not be allowed to the extent of sale of VAT exempted goods, namely, wheat bran (Chaff/Chokar), which has been assessed by the Assessing Authority to the extent of 25% of the input tax credit and reverse tax has been imposed on the respondent-assessee.

12. उक्त निर्णय के पश्चात माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष समान प्रकृति का विवाद मैसर्स शिव एडिबल लिमिटेड बनाम सीटीओ प्रतिकरापवंचन प्रथम कोटा (2016) 89 VST 54 में पुनः मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड में दिये गये निर्णय का अनुकरण करते हुए Proportionat ITC reversal की पुष्टि की गई। निर्णय का सुसंगत भाग निम्न प्रकार है :—

  लगातार.....5

“Accordingly, when similar view has already been taken by this court on indentical facts, there is no reason to deviate with the judgment rendered in CTO V. Durgeshwari Food Ltd., Shri Ganganagar [2012] 32 Tax Update 3.

At his juncture, counsel for the petitioner canvassed that the honourable apex court in the case of Durgeshwari Food Limited, Shri Ganganagar, has admitted special leave petition and contends that the present petition be kept pending till disposal of appeal by the honourable apex court or in the alternative she contends that whatever order will be passed by the honourable apex court in SLP by the honourable apex court in the case of Durgeshwari Food Limited, Shri Ganganagar, should also govern the fate of the instant revision petition.

Accordingly, the revision petition stands dismissed in the light of judgment rendered in the case of Durgeshwari Food Limited, Shri Ganganagar [2012] 32 Tax Update 3, with a rider that in case the judgement by honourable apex court is decided in favour of the assessee in that case then this revision petition will be governed by the verdict of the houourable apex court in SLP in the case of Durgeshwari Food Limited, Shri Ganganagar.”

13. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड के निर्णय का अनुकरण करते हुए रिवीजन अस्वीकार की गई है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित विशेष अनुमति याचिका के निर्णय अनुसार कर निर्धारण में संशोधन करने की टिप्पणी भी की है अतः उक्त निर्णय के प्रकाश में अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाकर माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणी अनुसार इस प्रकरण में भी यह निर्णय दिया जाता है कि यदि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दुर्गेश्वरी फूड के पक्ष में निर्णय किया जाता है तो इस अपीलार्थी को भी तदनुसार लाभ प्राप्त होगा।

14. फलतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर, आरोपित क्रय कर निरस्त किया जाता है एवं आई.टी.सी. के रिवर्सल को यथावत रखा जाता है।

15. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य